

पत्र सं 143 राजीव कुमार
नामक सहायक

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर कन्नौज

अनागत धारा-143 ज० वि० अधिनियम
ग्राम-चौदापुर बांगर
परगना व तहसील कन्नौज
ग्रामसभा



6

वाद सं०-32 वर्ष 2010-11

राजीव कुमार

वनाम

आदेश

वादी राजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव निवासी दुनाया पोस्ट पुठरी तहसील सदर जनपद फर्रुखाबाद प्रबन्धक अधिका डिग्री कालेज ग्राम चौदापुर बांगर तहसील व जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.10 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वह आराजी गाटा सं०-257 रकवा 1.1090 हे० अर्थात् 2.75 ए० स्थित ग्राम चौदापुर बांगर की दर्जशुदा सह खातेदार बतौर संकमणीय भूमिधर है एवं अपने कुल भाग 247/275 का तनहाँ मालिका व काविज है। उक्त भूमि को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस भूमि पर शिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ विवादित आराजी की उद्धरण खतौनी एवं विक्रय पत्र दिनांक 9.8.2010 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार कन्नौज से कराई गई। तहसीलदार की आख्या दिनांक 16.3.11/11.4.11 प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित आराजी गाटा सं०-257 रकवा 1.109 हे० स्थित ग्राम चौदापुर बांगर में मौके पर अधिका डिग्री कालेज का भवन निर्माण कराया जा रहा है। इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ उक्त भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की आख्या के परीक्षण से विदित है कि आराजी गाटा सं०-257 रकवा 1.109 हे० पर वादी राजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। विवादित भूमि को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों यथा कृषि, वागवानो, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन इत्यादि प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। मौके पर इस भूमि पर डिग्री कालेज का भवन निर्माण प्रचलित है तथा इस भूमि पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित होना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है-

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार कन्नौज की आख्या दिनांक 16.3.11/11.4.11 स्वीकार की जाती है। ग्राम चौदापुर बांगर परगना व तहसील कन्नौज की गाटा सं०-257 रकवा 1.109 हे० को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार कन्नौज एवं उप निबन्धक कन्नौज को अगिलेखों में अंकन/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 18-4-11

7550
~~27-7-19~~
~~30-7-19~~
~~20-7-19~~
3-13-10

(के०पी०सिंह)
उप जिलाधिकारी, सदर
कन्नौज

30-7-19
सत्य प्रतिलिपि

अभिलेखपाल (बकस)
कलेक्टर-कन्नौज

